

1. कोर्ट कीत कलम 14  
 2. अनुच्छेद 22  
 3. अनुच्छेद 23  
 4. अनुच्छेद 24

10/11/21  
 11/11/21

10/11/21  
 11/11/21

Register Issue  
 11/11/21

24/11/21 पत्रावली प्रशासन मामलों के संग अभियान-2021  
 कोर्ट में पंचायत सुनवाई के माध्यम से सुनवाई  
 पर पेश हुई। पक्षकाराने सुनवाई के माध्यम से अनुपस्थित  
 कोर्ट केस में प्रकरण का निष्पत्ती नहीं हो सका।  
 अतः पत्रावली पूर्व निम्नलिखित दिनांक  
 23/11/21 को न्यायाधीश के माध्यम से सुनवाई हो।

शिपिर प्रमारी  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलेक्टर, तिजारा (अलवर)

23/11/21 पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्षकाराने अनुपस्थित  
 वाद-वार का काज लगाई गई। साथ ही पंचायत के माध्यम से सुनवाई  
 का अधिकार अनुपस्थित। अतः वादवादी अदम्य हाजिरी अदम्य पत्रावली में  
 रकारिज किया जाता है। पत्रावली में सल सुभाह होकर वादकार  
 दाखिल दफ्तर हो।